Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 27-07-2005

Participants : Malhotra Prof. Vijay Kumar,Jaiswal Shri Shriprakash,Malhotra Prof. Vijay Kumar,Chakraborty Shri Ajay,Chakraborty Shri Sujan,Chatterjee Shri Somnath,Jaiswal Shri Shriprakash

>

Title :Regarding increasing incidents of atrocities on women in Delhi and other parts of the Country.

12.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of increasing incidents of atrocities on women in Delhi

and other parts of the country and steps taken by the Government in regard thereto

MR. SPEAKER: Shri Harishchandra Chavan -- Not present.

Prof. Vijay Kumar Malhotra.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "Increasing incidents of atrocities on women in Delhi and other parts of the country and steps taken by the Government in regard thereto[R14]."

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) अध्यक्ष महोदय, माननीय मल्होत्रा जी ने जिस महत्वपूर्ण विाय को उठाया है, मैं इसके संबंध में कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ। 1

MR. SPEAKER: You cannot do this. You may read the statement.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : राट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have not read the first paragraph.

SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL: Sir, I am reading the statement.

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं, देश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं के संबंध में इस सम्माननीय सदन के सदस्यों की गहरी चिन्ता में शामिल हूं। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या के प्रति पूर्णतः सचेत है तथा देश में महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

MR. SPEAKER: You have to read the entire statement.

...(व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It is something surprising. I hope the hon. Home Minister should have been here.

MR. SPEAKER: He is in the other House.

...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, I am on a point of order.

MR. SPEAKER: There is no point of order.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : It is a grave irregularity on the part of the Minister.

MR. SPEAKER: Anybody can make an error.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: We have got very alert Members to rectify the errors. You have given the suggestion and he has rectified. You can say, it is a very serious matter. So, please allow a proper discussion in the House. No gossiping, please.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : राट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलित अखिल भारतीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ा 2001, 2002, 2003, 2004 तथा 2005 (मार्च तक) के दौरान महिलाओं के प्रति सूचित मुख्य अपराध जैसे बलात्कार, अपहरण तथा व्यपहरण, दहेज संबंधी मृत्यु, पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, उत्पीड़न, स्त्री अशिट रूपण (प्रतिोध) अधिनियम, अनैतिक व्यापार (नि वारण) अधिनियम तथा दहेज (प्रतिोध) अधिनियम की संख्या नीचे दी गई है :--

2001	-	1,33,935
2002	-	1,32,803
2003	-	1,28,230
2004	-	1,33,865
जनवरी से मार्च, 2004 तक	-	30,114
जनवरी से मार्च, 2005 तक	-	29,932

MR. SPEAKER: Too much whispering is going on here. You are not showing proper respect to the subject. You are not showing proper concern for the important subject.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इन आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि वर्ा 2001 की तुलना में वर्ा 2004 के दौरान देश में महिलाओं के प्रति अपराध की समग्र घटनाओं में कमी आई थी। चालू वर्ा के प्रथम तीन

Also placed in Library, See No. LT 2351/2005.

महीनों के लिए महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े भी विगत वर्ा की इसी अवधि की तुलना में कमी का रुझान इंगित करते हैं। तथापि, सभी चारों वर्ों संबंधी आंकड़े मिले-जुले रुझान को दर्शाते हैं। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You can comment on that when you will make your submission. Everyone is dictating others.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : वर्ा 2001, 2002, 2003, 2004 तथा 2005 (15 जुलाई तक) के दौरान दहेज मृत्यु, बलात्कार, महिलाओं का उत्पीड़न, दहेज से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 406, भारतीय दंड संहिता 498 - पति अथवा ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता, दहेज प्रतिोध अधिनियम, अपहरण/व्यपहरण और महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे मुख्य अपराध शीर्षों के अंतर्गत राट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के प्रति सूचित अपराधों की संख्या इस प्रकार थी :--

2001	-	3,870
2002	-	4,106
2003	-	4,338
2004	-	5,568
जनवरी से 15 जुलाई, 2004 तक -	3,042	
जनवरी से 15 जुलाई, 2005 तक -	2,706	

उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ा 2001 की तुलना में वर्ा 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। चालू वर्ा के दौरान जनवरी से 15 जुलाई की अवधि में महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े विगत वर्ा की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में समग्र अपराध दर में कमी दर्शाते हैं। तथापि, यह सच है कि वर्ा 2003, 2004 और चालू वर्ा के पहले सात महीनों के दौरान दिल्ली में बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई cè[h15]।

महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस ने हाल में कारगर कदम उठाए हैं। इन कदमों में शामिल हैं - महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोठ को सुदृढ़ करना, रेप क्राइसेस इन्टरवेंशन सेंटर की स्थापना, महिला न्यायाधीशों वाले ि वशेा सत्र न्यायालयों का गठन, महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा बलात्कार और अन्य संबंधित अपराध की जांच अथवा ऐसे मामलों में जांच अधिकारियों के साथ महिला पुलिस को संबद्ध करना, कानूनी जागरुकता और प्रचार अभियान चलाना, महत्वपूर्ण महिला महाि वद्यालयों में गश्त करने वाले पीसीआर वाहनों में महिला पुलिस कांस्टेबल की तैनाती, महिलाओं के साथ छेड़खानी और उत्पीड़न को समाप्त करने तथा अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए शहर में महत्वपूर्ण स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती, महिला हैल्प लाइन नं.1991 की स्थापना, महिलाओं की तात्कालिक, संकट परिस्थिति एवं आपातकाली कॉलों को सुनने के लिए 24 घंटों महिला मोबाइल टीम का गठन, आदि। इन कदमों के परिणामस्वरूप, महिलाओं के बीच अपराध की घटनाओं को रिपोर्ट करने के संबंध में व्यापक जागरुकता आई है।

दुर्भाग्यवश, दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए इन कदमों के बावजूद, हाल ही में जल्दी-जल्दी बलात्कार के दो मामले घटित हुए। इन मामलों को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुई। पहला मामला धौला कुंआ से एक लड़की के व्यपहरण तथा 7/8 मई, 2005 की

रात्रि को चलती कार में उसके साथ बलात्कार से संबंधित है। इस मामले में दिल्ली पुलिस दोाी व्यक्तियों में से एक को गिरफ्तार करने में सफल रही है। दिल्ली पुलिस ने अन्य अभियुक्तों को पकड़ने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। दूसरा मामला, जो इसी प्रकार का है, मायापुरी से एक महिला के व्यपहरण तथा 20 जुलाई, 2005 को चलती कार में उसके साथ बलात्कार से संबंधित है। इस मामले को हल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने काफी व्यापक अभियान चलाया है।

दिल्ली में अपराध की घटनाओं को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक, जनसंख्या का भिन्न जातीय स्वरूप है। अपराध में वृद्धि और शहर की जनसंख्या के बीच एक सकारात्मक सह-संबंध है। जनसंख्या के अलावा, अन्य कारण जैसे यायावर जनसंख्या, शहरीकरण और उद्योगीकरण के कारण पड़ोसी राज्यों से जनसंख्या का पलायन, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता तथा घटते सामाजिक और पारिवारिक बंधन भी अपराध की घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं।

बलात्कार के मामलों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेाण से पता चलता है कि वर्ा 2003, 2004 तथा 2005 में 97% से अधिक मामलों में पारिवारिक सदस्य, पड़ोसी, नजदीकी मित्र तथा रिश्तेदार बलात्कार में संलिप्त थे जिनकी पीड़िता तक पहुंच आसान थी। अतः केवल पुलिस कार्रवाई द्वारा ही इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के जरिए परिवारों, विद्यालयों तथा महाि वद्यालयों में सामाजिक जागरुकता पैदा करने से महिलाओं के प्रति समाज के दृटिकोण में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। अपराध की रोकथाम में यह कदम दूरगामी सिद्ध होगा।

मैं, माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार, दिल्ली में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए आगे और कदम उठाएगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के बयान से हमें बहुत निराशा हुई है। यह बहुत ही डिस्कस्टिंग और शर्मनाक स्थिति है और ऐसा ही इनका बयान है। बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिन पर बहुत गहरा वाद-विवाद होना चाहिए इसलिए उन बातों कों मैं यहां उठाना नहीं चाहता हूं। महिलाओं पर अत्याचार, चुड़ेले बता कर उनकी हत्या कर देना, पारिवारिक सम्मान के लिए हत्या, दहेज समस्या, ये दूसरे प्रश्न हैं, परन्तु आपका यह कहना कि सिर्फ बलात्कार की दो घटनाएं हुई हैं, इससे ज्यादा गलत बयान संभव नहीं हो सकता है। मैं पिछले सात दिनों के अखबार आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला अखबार 24 जुलाई का है - "Unsafe Delhi - three rapes reported in 24 hours". एक दिन के अंदर, 24 घंटों में तीन बलात्कार हुए। दूसरा अखबार 25 जुलाई का है - "25 year old raped in Delhi, two held[r16]."

"Six held after South Delhi shoot-out and rape"; "Yet again rape in a moving car"; "Another morning another nightmare – another Delhi woman falls victim to a gang rape in a car not from Dhaula Kuan". "राजधानी महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित" ये सात दिन के अखबार हैं।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह कहना कि दिल्ली में हाल ही में जल्दी-जल्दी सिर्फ दो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, ठीक नहीं है। सारी दिल्ली बलात्कार की घटनाओं से दहल रही है, सारी दिल्ली में असुरक्षा की भावना है, महिलाओं का रात को

निकलना बन्द है। इन घटनाओं से जो स्थिति पैदा हुई है, उनमें इस प्रकार से एक केजुअल सा बयान देना, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है, यह बहुत शर्मनाक बयान है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमती शीला दीक्षित जी से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ला-एंड-आर्डर नहीं है। चूंकि शान्ति-व्यवस्था दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है इसलिए इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री महोदय की है। अभी मैं आपको सुश्री गिरिजा ब्यास का एक बयान पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वे इन्हीं की पार्टी की हैं और महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। उन्होंने बयान दिया है जो अखबारों में छपा है। उन्होंने " विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार " की एक घटना का जिक्र किया जो अखबार में छपा है और बाद में वे कहती है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रही। देश की राजधानी होने के कारण, काम की तलाश में देश के कोने-कोने से महिलाएं यहां आती हैं, लेकिन पर्याप्त सुविधा और सुरक्षा के अभाव में उन्हें हर पल अपनी जान और इज्जत जाने का डर बना रहता है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के बयान, सुश्री गिरिजा ब्यास के बयान और सारे मीडिया के कहने के बाद, देश में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, उसे देखते हुए मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को तुरन्त अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह मानना कि दिल्ली पुलिस इन घटनाओं को नहीं रोक सकती, आप शिक्षा का प्रबन्ध करिए, आप दूसरे प्र ाबन्ध करिए और केवल एक एस.एच.ओ. को सस्पेंड कर देना और सस्पेंड भी नहीं किया है, सिर्फ ट्रांसफर किया है, इससे घटनाएं नहीं रुकेंगी। फिर यह कहना कि Home Minister Called Delhi Police Commissioner, इस प्रकार बड़ा भारी बयान दे देना, इससे मामला समाप्त हो जाएगा, इससे मामला शान्त हो जाएगा, यह समझना ठीक नहीं है। दिल्ली की स्थिति के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है.।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में बाहर के लोग आते हैं, वे स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो माफिया गैंग आते हैं, जो बलात्कारी आते हैं, उनको दिल्ली में आने से रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं ?

महोदय, अभी एक साल पहले तक, दिल्ली में बार-बार कहा गया था कि हरेक दिल्ली निवासी को एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे और दिल्ली में हर आदमी के पास एक पहचान होनी चाहिए। बलात्कारी दिल्ली आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, लेकिन उनको आप रोक नहीं पाते हैं। गुड़गांव में पुलिस 700 मजदूरों को जख्मी कर सकती है, लेकिन बलात्कारियों को पकड़ने में असमर्थ है, उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। आपने अपने बयान में यही बात कही लगती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अभी देश भर की बहुत सी बातों का यहां जिक्र हुआ, इमराना के केस का जिक्र हुआ। इमराना के केस के बारे में मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके ससुर ने सारी पवित्रताओं की नट करते हुए, उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद एक फतवा दिया गया कि उसे अपने पति को अपना बेटा मान ले और ससुर के साथ पत्नी के रूप में रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इमराना के मामले में फतवा की पॉलिटिक्स चलेगी ?

अध्यक्ष महोदय,* .... वे हिन्दुस्तान की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I shall look into that. Please omit that name.

... (*Interruptions*)

* Expunged as ordered by the Chair.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): Sir, I want to repeat it…

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: This does not arise out of it. Please do not go beyond the motion. Please continue.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: If you do not continue with your submissions, then I would call the next speaker.

… (*Interruptions*)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Sir, is referring to a Member of Parliament unparliamentary in nature?… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am under no obligation to reply to you. It is my decision.

… (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि हमने महिलाओं …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have given my orders.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इस देश में कॉमन सिविल कोड है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इस देश में कॉमन सिविल कोड है।…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is very unfair. A serious matter is being discussed and unnecessarily, all this commotion is taking place. This is a serious matter. I have allowed you to speak. Now I would request you to please conclude instead of making allegations against another hon. Member. आप लोग बैठ जाइये।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : आप लोग बार-बार क्यों टोकते हैं?…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

* Not Recorded.

प्रो. रासा सिंह रावत वे पार्टी की नेता हैं तो उत्तर देने में क्या दिक्कत है?...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: It has nothing to do with the Government. आप लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Bring it to me. I will see it.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जहां देश में कॉमन क्रिमिनल कोड है, कॉमन क्रिमिनल कोड में कोई भी व्यक्ति अगर बलात्कार करता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, यह मांग भी करते हैं, आपकी तरफ से भी कहा जाता है, परन्तु एक व्यक्ति बलात्कार करे, ससुर बलात्कार करे तो उसको पकड़ने की बजाय, उसको फांसी देने के बजाय उसे ईनाम दिया जाये और गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग चुप रह जायें, उसके ऊपर एक शब्द न बोलें, यह फतवा कंट्री में कब तक चलेगा? क्या अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वहां पर महिलाओं के बलात्कार को बार-बार संरक्षण दिया जायेगा, यह हम जानना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी को तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप 3 लोग बैठ जाइये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हाउस के अन्दर यहां पर हमारी यह मांग है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Ajoy Chakraborty may speak now.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, this is a very serious issue.

MR. SPEAKER: Yes. It should be dealt with seriously. Merely saying it as serious is not enough.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : It is the serious concern of the country also. It is not a matter of a particular political party. It is not the grave concern of 'A' party or 'B' party alone. It is the grave concern of the whole country as such.

Delhi is not only the political capital of our country. It is also the capital of criminals. It is the capital of crimes. Criminal activities and atrocities against women are going on here. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Too many whisperings are going on. This is the Parliament of India. Nobody seems to remember it. You keep quiet. It is not a matter of joke. Such an important matter is being discussed and the House is not maintaining at least sobriety here.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, criminal acts are growing day by day. Criminal acts such as atrocities against women are growing everyday. It is not so only in Delhi. This is happening all over the country. Atrocities against women such as rape, kidnappings, abduction, outrage of modesty, dowry deaths of women are increasing day by day. The police is very much effective in curbing the trade union movement in Gurgaon. But the police is ineffective in curbing the criminal activities in Delhi and other places. Sir, I have already said that this is not the concern of 'A' party or 'B' party alone. It is the concern of the whole country as such. The women folk are subject to torture, they are subject to rape and kidnappings.

MR. SPEAKER: What is your question?

SHRI AJOY CHAKRABORTY : I will put my question now. Already the hon. Minister and Prof. Vijay Kumar Malhotra have told as to what is happening in Delhi. In Dhaula Kuan, a lady was kidnapped and raped in a running car by two men..… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Do not record anything except what Mr. Ajoy Chakraborty says.

(Interruptions) ….*

MR. SPEAKER: I am sorry Kunwar Manvendra Singh. I cannot rectify you, it seems, unless I put you out of the House. You are beyond correction!

… (*Interruptions*)

SHRI AJOY CHAKRABORTY : In Manipur, a college girl was raped earlier. Last year, a student of the Law College of Delhi was also raped. This heinous crime is growing day by day.

Not Recorded.

In this situation, my first question to the hon. Minister is this. Is the Government of India going to consider setting up of a Special Task Force of Police to curb the criminal activities against women and prevent women from rape, abduction, kidnapping, dowry death and outrage of modesty[bru17]?

Law and order situation is a State subject. I would like to know whether the Government of India has advised the State Governments to establish Special Task Force to prevent these kinds of criminal activities and atrocities on women. Secondly, may I know from the hon. Minister whether the Government of India is considering any proposal to establish a Special Police Cell by women officials to investigate all the matters and all the cases regarding the atrocities on women and cases relating to women? Thirdly, may I know from the hon. Minister whether the Government of India is considering any proposal to establish a police cell, which would investigate only cases which are related to the atrocities on women?

MR. SPEAKER: He has mentioned it in his statement.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : It appears from the statement of the Minister and from the statistics provided by the NCRB that the number of cases and the number of crimes are on the rise in Delhi and other parts of the country. My questions to the hon. Minister are; in regard to those crimes, how many cases were registered before the different police stations? In how many cases chargesheets had been submitted before the appropriate court? In how many cases the final report had been submitted before the courts? In how many cases criminals, the accused, had been convicted and in how many cases the accused had been acquitted? May I know from the hon. Minister whether the Government is considering to pay compensation to the womenfolk who were victims of rape, outrage of modesty, dowry death, etc.? Lastly, I submit before your honour that this is the concern of all the countrymen. So, the Government should take serious efforts to curb criminal activities on the women. This is the agony of the day. Everybody is fuming. This is the very serious concern of the day. All of us, cutting across party lines, should think about it seriously.

MR. SPEAKER: Hon. Members, please ask only questions. It is not a matter of elaboration.

DR. SUJAN CHAKRABORTY Sir, this is a matter of grave concern. I believe that all Members should be equally concerned with this matter. This is obviously not a question of indicting 'X' or 'Y'. The way the report is coming over the last few months, it is very shameful to the whole country. This is not just a question of one or two or three months. If we look at the reports of the last seven or eight or ten years, increasing incidents of similar nature are being reported. All of us know the incidents of Dhaula Kuan and Mayapuri. Rape in a moving car is a new pattern. Probably, earlier such reports were not there. Rape in a moving car is a new thing. We know the incident involving a Swiss diplomat. Again, it was very shameful to the entire country. She was raped. She had to go back to her country. What is the answer to that from a country like India? What is the answer from Delhi? Similarly, all of us know the Tandoor case. One political leader was also involved in that, in the name of ----.

MR. SPEAKER: Do not take names.

DR. SUJAN CHAKRABORTY : Okay, I will not take names.

A political leader was also involved. Tandoor case was also very grave incident. So, similar cases are on the increase in Delhi. I agree with my friend Shri Ajoy Chakraborty, when he said that Delhi is not only the political capital of the country but it is also the capital for these sorts of activities. National Crime Record Bureau statistics show that 450 cases of rape take place in Delhi every year. Thirty per cent of these atrocities are against the child and young girls. What is the answer from the Government? If you look at the action taken against these evils, you will find that no proper action is being taken against them. The hon. Minister, probably in the third para of his statement, has showed it in such a manner that these cases are coming down in the country[r18].

In 2001, it was 1,33,935. He was boastfully mentioning that in 2004, it was 1,33,865. In number, it is not differing. In percentage, it is not differing. But still, the Government is boasting that 'yes' the figure has come down by 70. It is not coming down even in the percentage figure. In the fourth and the fifth paras, we can see while the incident in the country, according to the Statement, is coming down, the incident in Delhi is on the rise. In 2001, it was 3,870; in 2002, it was 4106; in 2003, it was 4338; and in 2004, it was 5568.

MR. SPEAKER: That is all in the statement. Please come to your question.

DR. SUJAN CHAKRABORTY : Obviously, this concern should be taken care of by all concerned and the Government equivalently.

Sir, female foeticide also is a matter of concern. This is the National Capital. This is not a remote corner of the country. Here, the female foeticide is also on the rise. Thereby, I believe, the Government should take very, very serious approach and give a thought on this. The Chief Minister of Delhi has expressed her dissatisfaction. She has also expressed that she is not in a position to do because the police is being controlled by the Government of India.

Sir, in the 172nd Report of the Law Commission, it has been indicated that various lapses are there in our criminal procedure and in the entire procedure of tackling these issues. I would like to know whether the Government would look into the conviction cases of all these evils, which is very low. Probably, it is not more than four per cent, or even less than that. So, why is it so less? Why is it that many of the cases are not getting registered by the police? Why is it that the police is not taking as much interest as in other cases for all these evils?

MR. SPEAKER: Please, put your question.

DR. SUJAN CHAKRABORTY : Probably, the law and the policing is also very much defective. After 1983, some sort of amendment in the law was there. But after that, no amendment has taken place. The entire law procedure and the entire procedure of tackling these issues should be well spelt. In many other and even Commonwealth countries, the procedure has been changed. We have never changed our procedure.

MR. SPEAKER: Enough, enough.

DR. SUJAN CHAKRABORTY : In the recent past, Australia has changed its procedure, Canada has changed its procedure, and even South Africa also has changed its procedure. The Commonwealth countries have changed their procedures, but we have not.

MR. SPEAKER: Put your question. It is not a matter of a debate here, Mr. Chakraborty.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Sorry, I cannot allow this.

DR. SUJAN CHAKRABORTY : I would like to know from the Minister whether they would be interested to look into the matter seriously and whether they would discuss and take information and suggestion from all concerned so that a foolproof law and procedure can be maintained.

Thank you, Sir.

MR. SPEAKER: Including the Commonwealth countries!

Yes, hon. Minister to reply.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I was prepared to allow it a full discussion but Calling Attention has been insisted on. I have allowed it because of the urgency. Do you follow the rules? Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी अगर इस महत्वपूर्ण …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are satisfied with the Calling Attention. Sorry, I cannot go on. Fifty hands have been raised Shri Mohan Singhji. I cannot allow.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिट्ठी से कुछ नहीं होता है। सबके लिए कानून है, रूल है। आप रूल को पढ़िये।

…(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आज सदन में हमारे देश की जिस महत्वपूर्ण समस्या पर चिंता व्यक्त की जा रही है, हम समझते हैं कि उससे गंभीरतम समस्या हमारे मुल्क के लिए कोई दूसरी नहीं है। …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is a serious matter. Nobody has taken interest even to give notice.

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : सबके लिए एक कानून नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबके लिए एक ही कानून है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कालिंग अटैंशन की बात कर रहा हूं। You are a very senior Member.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) ...*

MR. SPEAKER: Not to be recorded.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded except the hon. Minister's statement.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आप लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है, इसमें कोई शक नहीं कि इस पर केवल हमारे चार माननीय सदस्यों ने ही अपनी चिंता व्यक्त की cè[mks19]। [r20]

इससे पूरा सदन ही नहीं बल्कि प्रत्येक माननीय सदस्य इस चिंता से पूरी तरह से ग्रस्त होगा और चाहता होगा कि हमारे देश को इस समस्या से कोई न कोई समाधान का रास्ता सामने मिल जाए। श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने अगर थोड़ी राजनीति न की होती तो ज्यादा बेहतर होता।...(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे : बलात्कार में क्या राजनीति होती है ?...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : प्रश्न के साथ-साथ ये राजनीति करने लगे।...(व्यवधान)

---

* Not Recorded.

श्री प्रकाश परांजपे : इसमें ये क्या राजनीति करने लगे ? ...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अभी बताता हूं कि क्या राजनीति है ? ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

... (*Interruptions*)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैंने जो बात कही है,...(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे : आप क्या बात कर रहे हैं ?...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, 6 साल राजग की सरकार रही है,...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you need not refer to that. I have omitted that. You reply to the points only.

… (*Interruptions*)

श्री प्रकाश परांजपे : इसमें क्या राजनीति वे लेकर आए हैं ? …(व्यवधान) आपका कानून क्या कर रहा है ?…(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अभी बता रहा हूं कि क्या राजनीति है लेकिन जब आप सुनेंगे तभी जानेंगे।…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Paranjpe, in any event, you are not sitting in your place. You just cannot do that. After taking permission from me only, you can speak.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी जगह में जाइए। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, 6 साल तक राजग की सरकार रही है। मल्होत्रा जी उसके एक अंग रहे हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सुन नहीं रहे हैं। यह क्या बात है ?

…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Then, it seems that you are not prepared to listen to the hon. Minister's statement. Please sit down. I am on my legs. Please take your seats.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: It seems that the hon. Minister must reply according to your satisfaction only! यह क्या बात है ? क्या मंत्री जी को आप बोलने नहीं देंगे ?

…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: At least, let us function in a manner which is good. You are putting a Calling Attention but you will not wait for a reply.

… (*Interruptions*)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, सन् 2001 में राजग की सरकार के दौरान 3870 बलात्कार के केसेज दिल्ली में हुए थे। सन् 2002 में 4106 केसेज हुए थे। सन् 2003 में 4338 केसेज हुए थे। क्या उन्होंने अपने गृह मंत्री जी से कभी इस्तीफा मांगा था ? मैं राजनैतिक भाा बता रहा हूं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िए न। Mr. Minister, do not go into the controversy.

… (*Interruptions*)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, मैं इसलिए बता रहा हूं, जो ये कहते हैं कि राजनीति की जा रही है। क्या आपने अपने तत्कालीन गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगा था ? आप अपनी चिंता व्यक्त करिए। हम आपके साथ पूरी तरह सहमत हैं।...(व्यवधान) बलात्कार हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। हम आपसे पूरी तरह से सहमत हैं।...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : किस-किसके खिलाफ आपने अभी तक कार्रवाई की है ? ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is very unfortunate.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Both sides are doing this. Mr. Minister, you come to the merits of the matter.

... (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : He should not be satisfied with that.

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही संवेदनशील विाय है।...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : श्री मल्होत्रा जी का खास प्रश्न जिसमें उन्होंने यह कहा है और जितने भी केसेज का उन्होंने जिक्र किया है, वे ज्यादातर केसेज वर्क-आउट किये जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस बलात्कार के 97 प्रतिशत केसेज में वर्क-आउट कर चुकी है। आज उसका रिकार्ड है कि 97 प्रतिशत केसेज में दिल्ली पुलिस वर्क-आउट कर चुकी है।...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, दिल्ली में इस वक्त इतना हाहाकार मचा हुआ है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, you cannot go on making running commentaries like this. Then, I will complete this discussion and I will not allow it if every sentence is being interrupted upon.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Then, I will complete it. I will go straight to the next subject.

... (*Interruptions*)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, धौलाकुंआ के जिस केस का माननीय मल्होत्रा जी ने जिक्र किया है, वह केस वर्क-आउट हो चुका है। केवल मायापुरी का एक केस अभी वर्क-आउट होना बाकी है। मैं दिल्ली पुलिस को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। मैं मल्होत्रा जी की इस चिंता से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे देश में बलात्कार जैसी घटना सबसे ज्यादा वीभत्स और निंदाजनक है। हमारी सरकार और दिल्ली पुलिस इस संबंध में जो कुछ भी संभव हो सका है, वह हर संभव कदम उठा रही है। हमने कई चीजें बतलाईं थीं कि दिल्ली पुलिस ये-ये कदम उठा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध-प्रकोठ को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया जारी है। अपराध-प्रकोठ की प्रक्रिया के बारे में माननीय अजय चक्रवर्ती जी कह रहे थे। अपराध-प्रकोठ दिल्ली में पहले से ही स्थापित है[R21]। उसको और मजबूत बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। रेप क्राइसिस इन्टरवेन्शन सेन्टर की स्थापना की गयी है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am very sorry that it has been made a partisan issue. You have also said that it should not be a partisan issue. Let us tackle this matter as a greatest human problem facing this

country.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No, no, this is wrong. I never said that you should not criticize the Government. You do criticize the Government but I am saying when a Minister is replying, have patience to hear him. This is the procedure that we have laid down for this Calling Attention Motion.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : पुलिस अधिकारियों द्वारा बलात्कार और अन्य सम्बन्धित अपराधों की जांच…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, सभी प्रश्न जेडी(यू) के नेता से पूछिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जांच प्रक्रिया में महिला पुलिस अधिकारियों को शामिल करने की व्यवस्था की गयी है। यह एक प्रभावी कदम के रूप में उठाया गया है। कानूनी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं मल्होत्रा साहब से कहूँगा कि इस प्रचार अभियान में आप भी चलें और हम भी चलें। इससे अभियान ज्यादा सफल होगा। हमें राजनीति से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा, केवल इस्तीफा मांगने से समस्या का समाधान नहीं होगा। महत्वपूर्ण महिला विद्यालयों में गश्त लगाने वाले पीसीआर वाहनों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी है। महिलाओं के साथ छेड़खानी और उत्पीड़न समाप्त करने और ऐसे अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर तथा बसों में जिस तरह की छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के लिए सादे वेश में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये पुलिसकर्मी ऐसे लोगों को पकड़ेंगे और अपराधों की रोकथाम करेंगे। महिला हेल्प लाइन '1991' की स्थापना की गयी है। किसी भी महिला को अगर किसी तरीके की शिकायत हो तो इस नम्बर पर तुरन्त शिकायत दर्ज करा सकती है। महिलाओं की आपातकालीन काल्स को सुनने के लिए 24 घण्टे महिला मोबाइल टीम का गठन किया गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली हमारे देश का ऐसा राज्य है जहां 4.5 लाख से अधिक लोग प्रति वर्ा बाहर से आते हैं। उनके दिल्ली में आने के समय उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती है कि उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, वे किस सूबे से आए हैं? यह आज तक नहीं किया जा सका है।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Give them identity cards.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मल्होत्रा जी, आपको दिल्ली की बहुत अच्छी जानकारी है। …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Not to be recorded. Please do not record it.

(Interruptions) ...*

MR. SPEAKER: You are crossing all limits today. It is not being recorded. Why are you saying all these things?

… (*Interruptions*)

* Not Recorded.

MR. SPEAKER: This is very unfortunate. You have not even bothered to give a notice.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Not to be recorded.

(Interruptions) ...*

MR. SPEAKER: Please control. Mr. Geete, I will request you that please request your hon. Member.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जहां तक आपने उत्तर प्रदेश की एक घटना का मुद्दा उठाया है…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is not necessary. Please, do not deal with names.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जहां तक दूसरे राज्यों की बात है, दूसरे राज्यों में जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, उनकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने प्रयास किए हैं। भारत सरकार ने यह किया है कि सभी राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे पुलिस सैल बनाएं। कुछ राज्यों में ये पुलिस सैल पहले से कार्यरत हैं जैसे कि अपने राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकता हूँ कि वहां पुलिस सैल आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। ऐसी पुलिस सैलों को और अधिक इफेक्टिव बनाने की सलाह दी गयी है जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।[cmc22] सभी राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि महिला पुलिस थाने बनाए जाएं और महिला पुलिस को और ज्यादा एक्टिव किया जाए। महिला पुलिस को जितना एक्टिव किया जाएगा, उतना ही इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

अध्यक्ष जी, मैंने जो ये स्पटीकरण दिए हैं, मैं इतना ही आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार पूर्ण रूप से सदन की भावनाओं से अवगत है कि बलात्कार जैसे कांडों पर अंकुश लगना चाहिए। हमारे देश की कानून व्यवस्था में, दिल्ली सहित, सुधार आना चाहिए, क्योंकि बलात्कार की घटना हमारे देश के कानून और व्यवस्था पर कलंक के समान है। इसलिए समय-समय पर हमारी सरकार, जो भी सम्भव हो सकेगा, कदम उठाएगी। मैं माननीय सदस्यों और खास तौर से मल्होत्रा जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमें सहयोग दें। आपको दिल्ली के भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी है, यहां के इतिहास के बारे में भी आपको ज्यादा जानकारी है इसलिए आप समय-समय पर हमें बताते रहेंगे, तो यह सही होगा।…(व्यवधान) मैं अंत में एक अनुरोध और करना चाहता हूं। …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

---

* Not Recorded.

(Interruptions) ...*

अध्यक्ष महोदय : आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। जब आपको मौका मिले, तब आप अपनी बात कहें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए मैंने सदन को बताया कि क्या-क्या उपाय भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारें कर रही हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध विपक्ष से और है कि अगर हम वास्तव में पूरी तन्मयता से महिला उत्पीड़न

को रोकना चाहते हैं, तो महिला आरक्षण विधेयक को पास कीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप लाएं तो सही और अपने साथियों से भी इस बारे में पूछ लें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : हम लाएंगे। उस बिल के पास होने से महिला पर जो अत्याचार होता है, उस पर अंकुश लग सकेगा।

---

* Not Recorded.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I beseech the hon. Members.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please allow me.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I will allow the unfortunate serious matter of Gurgaon to be raised. I have committed in the presence of hon. Members to permit Mr. Geete to raise his matter. There would also be a discussion on natural calamities. I will request him to be brief. Then, I will call Mr. Prabhunath Singh because I have committed in your presence. Then, I will come to Mr. Acharia.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please cooperate.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Will you sit down? Please cooperate for heaven's sake.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाएं।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उन सभी सदस्यों के नाम की सूची है, जिन्होंने नोटिस दिया है। उस सूची में सर्वश्री अनंत गीते, बसुदेव आचार्य, सुखदेव सिंह ढींढसा, प्रभुनाथ सिंह, सुशील कुमार मोदी के नाम हैं। आप फिर भी हल्ला करते हैं और कल भी आपने हल्ला किया था।

…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Only Mr. Geete's statement will go on record.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Krishandas, please take your seat. You are a disciplined Member.